

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 29—मार्च 6, 2004, शनिवार/फाल्गुन 10—फाल्गुन 16, 1925
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 29—MARCH 6, 2004, SATURDAY/PHALGUNA 10—PHALGUNA 16, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2004

आ. अ. 19.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उड़ीसा सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री एल. किंडो आई०ए०एस० के स्थान पर श्री अर्धेन्दु शेखर सारंगी, आई०ए०एस० (ओ०आर०-1975) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अर्धेन्दु शेखर सारंगी, आई०ए०एस० उड़ीसा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अर्धेन्दु शेखर सारंगी, आई०ए०एस०, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उड़ीसा के पद पर कार्य करते हुए उड़ीसा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/ओ आर०/2004—का० प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 28th February, 2004

O.N. 19.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Orissa hereby nominates Shri Ardhendu Shekhar Sarangi, IAS (OR-1975), as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri L. Kindo, IAS.

2. Shri Ardhendu Shekhar Sarangi shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Orissa, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Ardhendu Shekhar Sarangi, while functioning as the Chief Electoral Officer, Orissa shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Orissa except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/OR/2004-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.